न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण कमांकः—1257/2015</u> संस्थित दिनांकः—15/12/15

A STAL PAROLE

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद जिला–भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

 विद्याराम कोरी पुत्र लालाराम कोरी उर्म 32 वर्ष निवासी बंधा बरथरा गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा— 25 (1—बी) (बी) आयुद्ध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधि० श्री कमलेश शर्मा)

<u>// निर्णय //</u>

//आज दिनांक 08/02/17 को घोषित किया//

आरोपी पर दिनांक 13/12/15 को 19:30 बजे ऐचाया रोड गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना 6312—6552—11—बी(1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13/12/15 को प्रधान आरक्षक देवेन्द्रसिंह कस्बा गश्त पर ऐचाया रोड पर गये थे। ऐचाया रोड पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, उसे हमराही आरक्षक दीवानसिंह गुर्जर की मदद से पकड़ा था। वह नौ इंच लोहे की छुरी खुर्से हुए था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विद्याराम बताया था। आरोपी से मौके पर ही साक्षी

धीरसिंह एवं रामकुमार के समक्ष आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती एवं आरोपी की गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी। तत्पश्चात थाना वापस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क. 431/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 13/12/15 को 19:30 बजे ऐचाया रोड गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रामकुमार अ.सा. 1, धीरसिंह अ.सा. 2 एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण } विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 13/12/15 को दौराने गश्त ऐचाया रोड पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिसे उसने हमराही आरक्षक दीवानसिंह गुर्जर की

मदद से पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विद्याराम बताया था। तलाशी लेने पर वह नौ इंच की लम्बी धारदार छुरी खुर्से हुये मिला था। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेंस नहीं था, उसने मौके पर ही आरोपी से छुरी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था, जिसके कमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् वह आरोपी को थाने लेकर आया था एवं प्रदर्श पी 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा वापसी की प्रति प्रदर्श पी 4 है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए1 की छुरी वही छुरी है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त की थी।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह थाने से कितने बजे निकले थे, उसे समय याद नहीं है, वह गिरफ्तारी एवं जप्ती का समय नहीं बता सकता। जप्ती एवं गिरफ्तारी का मुकम्मल स्थान भी नहीं बता सकता। फिर कहा ऐचाया रोड पर की गयी थी। जप्ती एवं गिरफ्तारी किन लोगों के सामने की गयी थी आज उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए1 पर जप्ती के साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
- 9. साक्षी रामकुमार अ.सा. 1 एवं धीरसिंह अ.सा. 2 जिसे जप्ती एवं गिरफ्तारी का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी रामकुमार अ.सा. 1 ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 के कमशः ए से ए भाग पर तथा साक्षी धीर सिंह अ.सा. 2 ने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 के कमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी विद्याराम से लोहे की छुरी जप्त की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी विद्याराम को गिरफ्तार किया था।
- 10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

- 11. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की स्वयं साक्षी रामकुमार अ.सा. 1 एवं धीरसिंह अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी विद्याराम से लोहे की छुरी जप्त की थी। आरोपी के विरुद्ध मात्र प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 के कथन शेष हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 12. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक 13/12/15 को वह गश्त करने ऐचाया रोड पर गया था तो वहां वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिसे आरक्षक दीवानसिंह गुर्जर की मदद से पकड़ा था एवं तलाशी लेने पर उसके पास से नौ इंच लम्बी धारदार छुरी मिली थी। परंतु उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह नहीं बताया गया है कि वह थाने से कितने बजे निकले थे गिरफ्तारी और जप्ती का समय क्या था। जप्ती और गिरफ्तारी किन लोगों के सामने की गयी थी उसे याद नहीं है। इस प्रकार प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 जो कि जप्तीकर्ता हैं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताने में असमर्थ रहा है कि उसने आरोपी से कितने समय छुरी जप्त की थी एवं किन लोगों के सामने उसने आरोपी से छुरी जप्त की थी। उक्त साक्षी उक्त सभी तथ्य बताने में असमर्थ रहा है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 13. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को गश्त करने आरक्षक दीवानसिंह गुर्जर के साथ गया था तथा दीवानसिंह गुर्जर की मदद से ही उसने आरोपी विद्याराम को पकड़ा था, परंतु दीवानसिंह गुर्जर को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर दीवानसिंह गुर्जर के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 14. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह दिनांक 13/12/15 को गश्त करने ऐचाया रोड पर गया था। जहां उसे आरोपी से नौ इंच लम्बी धारदार छुरी जप्त की थी, परंतु अभियोजन द्वारा उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी थाने से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचा में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामा सान्हा उस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई

रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह भी संदेहास्पद हो जाता है कि घटना दिनांक को प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह ऐचाया रोड पर गश्त करने गया था अथवा नहीं एवं उपरोक्त तथ्य अभियोजन कहानी के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

- 15. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में आरोपी विद्याराम से नौ इंच लम्बी धारदार छुरी जप्त करना बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी के आकार—प्रकार एवं पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जप्तशुदा छुरी पर जप्ती के किसी साक्षी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 16. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने आरोपी से नौ इंच लम्बी छुरी जप्त करना बताया है, परंतु जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी रामकुमार अ.सा. 1 एवं धीरसिंह अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। इस प्रकार प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 के कथन का समर्थन जप्ती के साक्षी रामकुमार अ.सा. 1 एवं धीर सिंह अ. सा. 2 द्वारा भी नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 17. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित होता है क प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 के कथने अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रकरण में रोजनामचा रवानगी सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तशुदा छुरी के आकार—प्रकार एवं पहचान के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 18. संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह सबूतों का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि

आरोपी ने दिनांक आरोपी ने दिनांक 13/12/15 को 19:30 बजे ऐचाया रोड गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी विद्याराम को संदेह का लाभ देते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

- 20. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़—तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

स्थान:- गोहद

दिनांक:-08.02.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / '

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)